



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-10.07.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर से सम्बन्धित मुकदमे मे 03 अभियुक्तगण को सजा ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0528/2016 धारा 436,323, 504,506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- गोपाल दुबे पुत्र कुबेर दुबे, 02- घनश्याम दुबे पुत्र गोपाल दुबे व 03- सुभाष दुबे पुत्र गोपाल दुबे समस्त निवासीगण- ग्राम अम्बा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-09.07.2024 को माननीय न्यायालय ADJ-09 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त 01- गोपाल दुबे उपरोक्त को अंतर्गत धारा 323,34 भा0द0वि0 मे 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रु के अर्थदण्ड से तथा धारा 504,506 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500/- रु के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अभियुक्त 02- घनश्याम दुबे उपरोक्त को अंतर्गत धारा 323,34 भा0द0वि0 मे 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रु के अर्थदण्ड से, धारा 504,506 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500/- रु के अर्थदण्ड से तथा धारा 436 भा0द0वि0 मे 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रु के अर्थदण्ड से दंडित किया गया । अभियुक्त 03- सुभाष दुबे उपरोक्त को अंतर्गत धारा 504,506 भा0द0वि0 मे 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 500-500/- रु के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।